**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2953**

**दिनांक 21.03.2018/30 फाल्गुन, 1939 (शक) को उत्तर के लिए**

**चीनी कंपनियों को एससीएडीए प्रणाली में प्रवेश**

**करने से रोका जाना**

**2953. श्री देवेंदर गौड टी॰:**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या सरकार ने शहर के ग्रिड को आकर्षक बनाने के लिए जोडे़ जा रहे पर्यवेक्षी नियंत्रण और डाटा अभिग्रहण (एससीएडीए) प्रणाली में चीनी कंपनियों के अतिक्रमण के मद्देनज़र सुरक्षा बिन्दु से कोई आकलन कराया है;**

**(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय विद्युत उपस्कर विनिर्माताओं ने देश के ट्रांसमिशन नेटवर्क की हैंकिंग हो जाने के खतरे के कारण उपर्युक्त के प्रति आपत्ति उठाई है;**

**(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में विद्युत मंत्रालय के साथ कोई परामर्श किए गए हैं; और**

**(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम है और एससीएडीए प्रणाली में चीनी कंपनियों के प्रवेश को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने वाले हैं?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर)**

(क) से (घ): भारतीय इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण एसोसिएशन (आईईईएए) ने चीनी कंपनियों को पर्यवेक्षण नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (एससीएडीए) सिस्टम परियोजना प्रदान करने पर सुरक्षा संबंधी चिंता व्यक्त की थी। बिजली मंत्रालय ने जून, 2017 में भारत सरकार के संगठन नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (एनसीआईआईपीसी) से एससीएडीए में इस्तेमाल किए गए चीनी उपकरणों के सम्बन्ध में जोखिम धारणा अध्ययन/मूल्यांकन करने का अनुरोध किया था। इस मामले में भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पॉवर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) एनसीआईआईपीसी के साथ सम्बद्ध हैं। एनसीआईआईपीसी द्वारा जोखिम धारणा अध्ययन/ मूल्यांकन प्रगति पर है।

\*\*\*\*\*\*\*